

Section of the complaint P.S.

Age, caste, and address of accused

26/20

नाम अभियुक्त

अजय सिंह सोनू माली उर्फ
82 वर्षीय 140 इंचो

The offence complained of, and date of, its date of, its alleged commission

आपके विरुद्ध अभियोग है कि तुमने दिनांक 8.6.20 को समय 12-20 बजे
 स्थान कोत इलाहाबाद जिला नाला
 में पुलिस सहायक/आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा 400 रु. के जादियत स
 10 लीटर इन्डियन शराब पाई गई।
 तुम्हारा उक्त कृत्य धारा 34 म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है
 होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

the plea of the accused and his examination (if any)_

अभियुक्त का अभिवाक

मुझे अपराध स्वीकार है। मैंने अपने पास 10 लीटर इन्डियन शराब रखी थी।
 गलती हो गई। माफ किया जावें।

अजय सिंह

न्यायिक मजि. प्र. श्री. सनावत

the offence proved if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub section (i) of
 Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(आज दिनांक

को घोषित किया गया)

22/7/20

1. समरी शीट पर अपराध विवरण विरचित कर आरा
सुनाये, समझाये जाने पर उराने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना व्यव
अभिवाक अंकित किये गये ।

2.

आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर
उसे धारा 34अ म.प्र. आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की
सजा एवं 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।
अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास भुगताया
जावे।

3.

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात अपील न होने
की दशा में नष्ट की जावे अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के
निर्देशों का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
व हस्ताक्षर कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

22-07-2020

समाप्त

न्यायिक मजि प्रश्न सनावद

लाबद, पश्चिम निवाह (म.प्र.)

22-07-2020

(महेश्वर लोनी)

न्यायिक मजि प्रश्न सनावद

लाबद, पश्चिम निवाह (म.प्र.)